S.S. Jain Subodh P.G. College, (Autonomous) Jaipur

SCJ/2026-27/ Notice/ 430 **Dated: 5.11.2026**

NOTICE

UM CASE – WARNING AGAINST THE USE OF UNFAIR MEANS IN EXAMINATIONS

All students are hereby informed that the use of unfair means (UM) during examinations is a punishable offence and will be dealt with strictly as per the examination rules of the college.

Any student found involved in the use of unfair means shall be liable for strict disciplinary action. Such action shall not be restricted to cancellation of the examination of the concerned paper or declaration of failure in that particular paper; it may also extend to declaration of failure in the entire semester in which the student is appearing for the examination.

Students are therefore advised to strictly adhere to the prescribed examination rules and maintain the highest standards of discipline, honesty, and academic integrity during examinations.

Any violation of the examination rules shall be viewed seriously, and no leniency shall be shown in such cases.

6/11/2026

Prof. (Dr.) Renu Joshi
Principal

एस.एस.जैन सुबोध पीजी महाविद्यालय, जयपुर

SCJ/2026-27/ Notice/ 431 दिनांक 5.11.2026

सूचना

अनुचित साधनों (UM CASE) के प्रयोग के संबंध में चेतावनी

समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों (**Unfair Means**) का प्रयोग एक दंडनीय अपराध है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध महाविद्यालय के परीक्षा नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे विद्यार्थियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई केवल संबंधित प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण घोषित किए जाने अथवा उस प्रश्न-पत्र की परीक्षा निरस्त किए जाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिस सेमेस्टर की परीक्षा में विद्यार्थी सम्मिलित हो रहा/रही है, उस संपूर्ण सेमेस्टर में भी अनुत्तीर्ण घोषित किया जा सकता है।

अतः सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षा के दौरान निर्धारित परीक्षा नियमों का पूर्णतः पालन करें तथा अनुशासन, ईमानदारी एवं शैक्षणिक नैतिकता बनाए रखें।

परीक्षा नियमों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा तथा ऐसे मामलों में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

6/11/2026

प्रो. (डॉ.) रेणु जोशी
प्राचार्या